कार्यालय :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

कार्यालय आदेश संख्या :– 39

राँची–2 दिनांक :– 19/5/15

वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिसूचना संख्या सं0सं0–4/यो0 बजट–42/2010–2371 व0प0, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 15.05.15 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त विभागीय पौधशाला में उगाए गए छोटे पौधे/लम्बे पौधे एवं वर्मी कम्पोष्ट की विक्रय दर का निर्धारण हेतु अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची द्वारा दर का अनुमोदन किया गया। विभागीय एवं गैर–विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली विभागीय पौधशाला में उगाए गए छोटे पौधे/लम्बे पौधे एवं वर्मी कम्पोष्ट की विक्रय दर का निर्धारण हेतु ये कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।

विभागीय पौधशाला में उगाए गए छोटे पौधे/लम्बे पौधे एवं वर्मी कम्पोष्ट की विक्रय दर का निर्धारण

विभिन्न विभागीय पौधशालाओं में दो तरह के पौधे उगाये जाते है। छोटे साईज के पौधे उगाने के लिए– 4"x8", 8"x12" & 6"x12" तथा लम्बे साईज के पौधे उगाने के लिए 10"x16" & 14"x20" साईज की पोलीथीन ट्यूब प्रयोग में लाई जाती है। पौधों का विक्रय दर पूर्व में 1.50 रु0 प्रति पौधा निर्धारित था। इसके अलावा शोध पौधशालाओं में ग्राफ्टेड फलदार पौधे तथा वर्मी कम्पोष्ट का भी उत्पादन किया जाता है। ग्राफ्टेड फलदार पौधों की विक्रय दर पूर्व में 6.00 रु0 प्रति पौधा निर्धारित थी।

मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची के द्वारा लागत मूल्य के आधार पर उपरोक्त पौधों की बिक्री के लिए प्रस्तावित दर पर समिति द्वारा सम्यक रुप से विचार किया गया और झारखण्ड राज्य के किसानों एवं अन्य ग्रामीणों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर एवं वनभूमि के बाहर वनाच्छादन को बढ़ाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समिति

द्वारा विभिन्न आकार के पौधों एवं वर्मी कम्पोष्ट की दर निम्नवत निर्धारित करने की अनुशंसा की जाती है।

(1) छोटे पौधे – 3.00 रुपये प्रति पौधा

(2) लम्बे पौधे / ग्राफ्टेड पौधा – 15.00 रु0 प्रति पौधा

(3) वर्मी कम्पोष्ट – 7.00 रु0 प्रति किलो

ह0

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक :– 476 दिनांक :– 19/5/15

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह– कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्षद, झारखण्ड, राँची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी

को सूचनार्थ एवं आवशयक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/2015

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची